न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/03/2021 रजि0 नं0 2021/6

प्रवेश तिथि 04.01.2021

अपीलार्थी
श्री सन्तोष कुमार सैनी पुत्र श्री चन्दरराम सैनी,
निवासी नया कुआं, अलवर बाईपास रोड,
बानसूर, तहसील बानसूर (अलवर)

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी बानसूर (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01.02.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का विशुद्ध परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 17.11.2020 के माध्यम से प्रत्यर्थी के न्यायालय प्रकरण उनवानी लीलाराम बनाम बनवारी वगैराह में विवादित आ.ख.नं. 1378 रकबा 3.14 हैक्टेयर वाके ग्राम–मौजा बानसूर की फर्द मौका कमिश्नर रिपोर्ट के संबंध में 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई। उक्त आवेदन में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 23.12.20 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2021/24–25 दिनांकः 06.01.2021 के माध्यम तलब कर दिनांकः 12.01.21 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं किन्तु उनकी ओर से पत्रांक आरटीआई/2020/106 दिनांक 11.01.2021 के माध्यम से अपील का बिन्दुवार जवाब प्रेषित किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर मनन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक के प्रथम आवेदन दिनांकः 17.11.20 के क्रम में पत्र सं. 4038 दिनांकः 22.12.20 के माध्यम से अपीलार्थी को बिन्दुवार विनिश्चय से अवगत कराया जा चुका है जिसके अनुसार संदर्भित मौका रिपोर्ट प्रेषण हेतु तहसीलदार बानसूर को पत्र सं. 3938 दिनांकः 16.12.2020 के माध्यम से लिखा गया है एवं अपील जवाब अंतर्गत पृथक से भी उल्लेखित किया गया कि उनके न्यायालय प्रकरण उनवानी लीलाराम बनाम बनवारी वगैराह अंतर्गत चाही गई मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रति आवेदक को उपलब्ध करा दी जावेगी, प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई।

1/2/21

7. अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा पत्र दिनांकः 22.12.20 के माध्यम से सूचना प्रेषित की गई है एवं अपीलार्थी द्वारा अपील दिनांकः 23.12.20 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रस्तुत की गई है इस प्रकार विनिश्चय पत्र दिनांकः 22.12.20 अपीलार्थी को देरी से मिलना संभावित है।

8. जहाँ तक न्यायालय प्रकरण उनवांनी लीलाराम बनाम बनवारी वगैराह अंतर्गत चाही गई मौका रिपोर्ट नकल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत जारी करने का प्रश्न है, माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा अपील संख्या 3837/2011 ब.उ. सिकन्द अली बनाम जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर में निर्णय दिनांकः 27.08.2014 एवं द्वितीय अपील संख्या 101093/2020 ब.उ. बुधकरण बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर में दिनांकः 23.12.2020 को निर्णय पारित कर माना है कि ''जहाँ कानूनी प्रावधानानुसार दस्तावेज की प्रति देने के लिए नियम बने हुए हों, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ही सूचना प्राप्त नही कर सकते हैं, क्योंकि अन्य अधिनियमानुसार वांछित सूचना प्राप्त कर सकने की स्थिति से सूचना पब्लिक डोमियन में होना माना जाता है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में ऐसे मामले नहीं होते हैं यदि प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के अन्तर्गत वह सूचना नहीं दी जा सकती है।'' उक्त के अतिरिक्त आवेदन में न्यायालय प्रकरण निस्तारण को लेकर अपीलार्थी की परिवेदना भी परिलक्षित होती है जिसका निस्तारण इस अधिनियम के स्तर पर संभव नहीं है।

9. अतः चाही गई सूचना ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा 8(1)(J) के तहत देय नहीं है। अपील खारिज करना समीचीन है।

10. अस्तु अपील माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में खारिज की जाती है।

11. आज दिनांकः 01.02.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

12. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

13. निर्णय घोषित ।

1/2/21

(कमलराम मीना)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)